

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक:प.30(7)मं.मं. / 2022

जयपुर, दिनांक 18 / 11 / 2022

परिपत्र

विषय:- राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों/बोर्ड/निगम/उपक्रमों के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने बाबत ।

राजस्थान विधानसभा का आगामी बजट सत्र माह फरवरी, 2023 में प्रारम्भ होने की संभावना है। प्रतिवर्ष की भाँति बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम/उपक्रमों द्वारा वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण/प्रगति की प्रतियाँ राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवानी होती है ।

इस संबंध में लेख है कि वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.4(3) वित्त-1 (1)बी/2006 दिनांक 27.4.2006 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन में विभागीय व्यय के आंकड़े दिसम्बर, 2022 तक के ही सम्मिलित किये जावें । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि विधानसभा में भेजे जाने वाले वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख नहीं किया जावे ।

प्रशासनिक प्रतिवेदन में एकरूपता तथा इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये इसमें निम्न बिन्दुओं को भी समस्त राजकीय विभागों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावे:-

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा ।
2. स्वीकृत-कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण ।
3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना ।
4. आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ ।
5. सार-संक्षेप (Executive summary) ।




कृपया विभागों/निगमों/बोर्ड/उपक्रमों द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से तत्काल तैयार कर मूल फाईल (साफ्ट कॉपी) को ही "न्यूनतम साईज की ग्रे-स्केल (श्वेत-श्याम) में PDF फाईल में तैयार कर पेन ड्राईव में" मय 25 प्रतियां मैनुअली पूर्व की भाँति आगामी बजट सत्र के 7 दिवस पूर्व राजस्थान विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। प्रतिवेदन की 5 प्रतियां वित्त(आय-व्ययक) विभाग, एक-एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय सांसदों को एवं एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वार्षिक प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इसे बजट सत्र उपरान्त विभागीय वेबसाईड पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. रक्षित पत्रावली।


(गजानन्द शर्मा)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।


सहायक शासन सचिव